

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270701
SG-DL-E-06032026-270701असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 482
No. 67]	DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947	[N. C. T. D. No. 482

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIपर्यावरण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 2 मार्च, 2026

फा0 संख्या डीपीसीसी/(12)(1)(493) प्रयो0(ए)/2024/पार्ट-बी/9970.—वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1983 के नियम 16 के अंतर्गत निर्धारित योग्यताओं के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के निम्नलिखित अधिकारियों को सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं :

- डॉ० नंदिता मोइत्रा — वैज्ञानिक—डी, डीपीसीसी
- श्री अरविंद कुमार — वैज्ञानिक—बी, डीपीसीसी

ये नियुक्तियाँ उक्त प्रयोगशाला में भेजे गए वायु या उत्सर्जन नमूनों के विश्लेषण के उद्देश्य से की जाती हैं, जिसे दिनांक 7 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) (ख) के अंतर्गत राज्य वायु प्रयोगशाला के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
निगम अग्रवाल, निदेशक (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd March, 2026

F. No. DPCC/(12) (1) (493) Lab(A)/2024/ Pt-B/9970.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Central Act No. 6 of 1981) and as per prescribed qualifications under Rule 16 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983, the Lieutenant Governor of Delhi hereby appoints following officers of the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), as Government Analysts:

1. Dr. Nandita Moitra, Scientist-D, DPCC
2. Sh. Arvind Kumar- Scientist-B, DPCC

These appointments are made for the purpose of analysis of air or emission samples sent to the said laboratory, which has been designated as the State Air Laboratory under sub-section (1) (b) of section 28 of the aforesaid Act, vide notification dated 7th April 2025.

This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

NIGAM AGARWAL, Director (Environment)